राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 17/09/2019 को संपन्न 293वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

---000---

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 293वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 17/09/2019 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री भोसकर विलास संदिपान, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: **दिनांक 16/09/2019 को संपन्न 292वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: **गौण / मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स श्रीमति गीता देवी देशमुख ब्रिक्स अर्थ माईन, ग्राम–आलबरस, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 906ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 37910/2019, दिनांक 19/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आलबरस, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1650, कुल क्षेत्रफल – 1.35 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 289वीं बैठक दिनांक 20/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री खिलेन्द्र कुमार देशमुख, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत आलबरस का दिनांक 22/01/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1276/खनि.लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 22/03/2019 द्वारा अनुमोदित की गई है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 490/खनि.लि.02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 09/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान क्षेत्रफल 1.38 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में उत्तर दिशा में 10 मीटर पर कच्ची सड़क, पूर्व दिशा में 200 मीटर पर तांदुला नदी स्थित है। इसके अतिरिक्त कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक /1794/खनि.लि.02/ई–ऑक्शन/2019 दुर्ग, दिनांक 23/02/2019 द्वारा जारी किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक /मा. चि./2019/2056 दुर्ग, दिनांक 19/05/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

			Water Facility	
			Total	**Rs. 0.80**

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

11. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 490/खनि.लि. 02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 09/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान क्षेत्रफल 1.38 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–आलबरस) का रकबा 1.35 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–आलबरस) को मिलाकर कुल रकबा 2.73 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–आलबरस, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1650, कुल क्षेत्रफल – 1.35 हेक्टेयर मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईंट निर्माण ईकाई क्षमता 15,00,000 नग) हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स आमाकोनी लाईन स्टोन क्वारी माईन (श्री अशोक बाजपेयी), ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 910)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38183/2019, दिनांक 25/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 63(पार्ट), 75, 76 एवं 78(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 1.13 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 8,158.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 289वीं बैठक दिनांक 20/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत आमाकोनी द्वारा दिनांक 11/08/2012 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 384/खनि.लि./उ.यो./2019 बेमेतरा, दिनांक 22/06/2019 द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 405/ख.लि./तीन–1/2019 बलौदाबाजार, दिनांक 25/06/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 12 खदानें क्षेत्रफल 23.128 हेक्टेयर है।
4. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन दिनांक 29/12/2018 द्वारा जारी किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/08/2019 को सूचना दी गई कि उनका समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स कोटराबुंदेली डोलोमाईट स्टोन (प्रो.–श्री तिलक चन्द्रवंशी), ग्राम–कोटराबुंदेली, तहसील–सहसपुर–लोहारा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 898ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 35828/2019, दिनांक 11/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण दिनांक 06/06/2019 द्वारा प्रस्तुत ऑफलाईन आवेदन को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोटराबुंदेली, तहसील–सहसपुर–लोहारा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा 194/1, 194/2 एवं 194/3, कुल क्षेत्रफल – 2.129 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 99,820.07 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 283वीं बैठक दिनांक 14/06/2019:

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में एल.ओ.आई. एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री तिलक चन्द्रवंशी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोटराबुंदेली का दिनांक 03/04/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बेमेतरा द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 771/खनिज/ख.लि./ई–टेण्डर/2019 कबीरधाम, दिनांक 04/05/2019 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर 1 अन्य खदान क्षेत्रफल 2.874 हेक्टेयर है।

4. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन दिनांक 09/05/2018 द्वारा जारी किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया।

6. समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई रोड, पुल, रेललाइन, नहर, बांध, ऐनीकट, भवन, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, अस्पताल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल एवं अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा के ज्ञापन दिनांक 26/12/2017 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से लगभग 25 कि.मी. दूरी पर स्थित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/08/2019 को सूचना दी गई कि उनका समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **सरपंच, ग्राम पंचायत दरगहन, ग्राम–दरगहन, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 897)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37375/2019, दिनांक 06/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–दरगहन, ग्राम पंचायत दरगहन, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 02, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–67,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दरगहन का दिनांक 08/02/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 354/खनि /न.क्र./2019/धमतरी, दिनांक 03/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित खदान की निकतटम नदी तट से दूरी 40 मीटर है, तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की सीमा में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 02, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 775 दिनांक 31/08/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 01 वर्ष तक की अवधि हेतु दी गई थी। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 9 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नई रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती सरस्वती बाई, सरपंच एवं श्री चन्द्रहास ध्रुव, सचिव, ग्राम पंचायत दरगहन उपस्थित हुए। सरपंच एवं सचिव द्वारा समिति की आगामी बैठक दिनांक 21/08/2019 में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः–**

1. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/08/2019 को समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष पर सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(स) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती सरस्वती बाई, सरपंच एवं श्री चन्द्रहास ध्रुव, सचिव, ग्राम पंचायत दरगहन उपस्थित हुए। सरपंच एवं सचिव द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गयाः–

1. सरपंच एवं सचिव के अनुरोध को स्वीकार करते हुए खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. सरपंच, ग्राम पंचायत राजपुर, ग्राम–राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 898)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37394/2019, दिनांक 06/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–राजपुर, ग्राम पंचायत राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,53,000 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत राजपुर का दिनांक 08/02/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 30 मीटर है। तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की सीमा में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 54 दिनांक 07/03/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दी गई थी। वर्तमान आवेदन पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के उपरांत किया गया है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. खदान पूर्व से संचालित है। अतः विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों (200 मीटर एवं 500 मीटर की जानकारी) में दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उक्त प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत किया जाए।
7. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती छगनी निषाद, सरपंच, ग्राम पंचायत राजपुर उपस्थित हुए। सरपंच द्वारा समिति की आगामी बैठक दिनांक 21/08/2019 में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः–**

1. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/08/2019 को समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष पर सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(स) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती छगनी निषाद, सरपंच, ग्राम पंचायत राजपुर उपस्थित हुए। सरपंच द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:-

1. सरपंच के अनुरोध को स्वीकार करते हुए खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स श्रीमती षेरली पोन्नचन डोलोमाईट माईन, ग्राम-पेण्ड्रीतराई, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 917)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39051/2019, दिनांक 11/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित डोलोमाईट खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-पेण्ड्रीतराई, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 21/6 (पार्ट), 21/7, 21/8 एवं 21/9, कुल लीज क्षेत्र 1.94 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-36,581.25 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाईट खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई का दिनांक 17/10/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक 41/खनि.लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 29/04/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 440/ख.लि.3/ खनिज/न.क्र.168/2019 दुर्ग, दिनांक 03/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 9 खदानें, कुल क्षेत्रफल 10.875 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में उत्तर एवं पूर्व दिशा में छोटा नहर नाली

स्थित है। इसके अतिरिक्त मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक /1765/खनि.लि.02/ई–ऑक्शन/2019 दुर्ग, दिनांक 20/02/2019 द्वारा द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि. /2019/2450 दुर्ग, दिनांक 06/06/2019 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री के.जे. पोन्नचन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती षेरली पोन्नचन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के ज्ञापन क्रमांक 4884/खनि 02/उ.प.–अनुनिष्पा./न. क्र.50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/09/2019 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि दिनांक 18/02/2020 तक की गई है।
2. निकटतम आबादी ग्राम–पेण्ड्रीतराई 2 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम–पेण्ड्रीतराई 2 कि.मी. एवं अस्पताल अहिवारा 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18 कि.मी. दूर है। तालाब ग्राम–पेण्ड्रीतराई 1.5 कि.मी., छोटी नहर नाली 0.052 कि.मी. एवं शिवनाथ नदी 6 कि.मी. दूर है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
4. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,41,475 मीट्रिक टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,46,370 मीट्रिक टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.47 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 12,700 घनमीटर एवं गहराई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 3.3 वर्ष है। कंट्रोल ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। ड्रिलिंग हेतु वेट ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (मीट्रिक टन)
प्रथम	8,900	2	17,800	44,500
द्वितीय	3,704	2	7,408	44,500
	3,464	3	10,392	
तृतीय	5,933.5	3	17,800	44,500
चतुर्थ	1,710	3	5,130	12,825

5. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में 1,050 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
7. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs.45	2.0%	Rs. 0.90	Following activities at Nearby Government School Village-Pendritarai	
			Rain water harvesting	Rs. 0.60
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.30
			Total	**Rs. 0.90**

9. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–</u>

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 440/ख.लि.3/खनिज/न.क्र.168/2019 दुर्ग, दिनांक 03/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 9 खदानें, कुल क्षेत्रफल 10.875 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–पेण्ड्रीतराई) को मिलाकर कुल रकबा 12.815 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 1 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

iv. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

v. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

vi. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स विष्णु केमिकल लिमिटेड, ग्राम–भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 485ए)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी2 / 17059/2016, दिनांक 28/04/2017 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु पत्र दिनांक 10/07/2019 द्वारा आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में दिनांक 06/09/2016 को इनऑर्गेनिक कम्पाउण्ड एण्ड फाइन केमिकल मेन्युफेक्चरिंग हेतु टीओरआर बाबत् आवेदन किया गया था। परियोजना प्लॉट नं. 18 से 26, इण्डस्ट्रीयल ईस्टेट, नंदनी रोड, भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग, कुल लेण्ड एरिया 6.47 हेक्टेयर में है।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 606 दिनांक 03/11/2017 द्वारा प्लॉट नं. 18 से 26, इण्डस्ट्रीयल ईस्टेट, नंदनी रोड, भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग, कुल लेण्ड एरिया 6.47 हेक्टेयर में वर्तमान में स्थापित इनआर्गेनिक केमिकल्स उत्पादन इकाई क्षमता 8150 टन / वर्ष में अतिरिक्त डायवर्सिफिकेशन कार्यकलाप यथा सेकरिन – 1000 टन/वर्ष एवं सेकरिन सोडियम – 1000 टन/वर्ष कुल उत्पादन (10150 टन/ वर्ष) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त क्रमांक 37 "In case of any deviation or alteration in the proposed project from those submitted to this SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA, Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / SEIAA, Chhattisgarh" में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः–**

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में वर्तमान में स्थापित ईकाइयों तथा प्रस्तावित ईकाइयों से होने वाले कुल प्रदूषण भार (दूषित जल की मात्रा, ठोस अपशिष्ट की मात्रा, हजार्ड्स अपशिष्ट की मात्रा आदि) की गणना एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2019 को सूचना दी गई कि उनका समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एम.व्ही. राव, वाइस प्रेसीडेन्ट एवं तकनीकी निदेशक मेसर्स के.के.बी. इन्वायरो केयर कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री जयंथी थिरूमलेश उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के तहत् स्थापित इनआर्गेनिक उत्पाद की मात्रा में वृद्धि एवं एक अन्य इनआर्गेनिक उत्पाद लिए जाने हेतु आवेदन किया गया है।
2. वर्तमान में स्थापित इनआर्गेनिक कम्पाउण्ड्स (6 इनआर्गेनिक उत्पाद) क्षमता–8,150 टन प्रतिवर्ष से वृद्धि कर इनआर्गेनिक कम्पाउण्ड्स (पूर्व जैसे 6 इनआर्गेनिक उत्पाद) क्षमता–33,500 टन प्रतिवर्ष किया जाना है। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल क्षमता–43,650 टन प्रतिवर्ष (6 इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट एवं 2 फाईन कैमिकल्स) किया जाना प्रस्तावित है।
3. स्थापित प्लांट में कुल विनियोग रूपये 59.05 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकलाप का विनियोग 25.2 करोड़ है। कुल विनियोग रूपये 84.25 करोड़ होगा।
4. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
5. वर्तमान में स्थापित एवं प्रस्तावित उत्पाद तथा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के तहत् उत्पादन क्षमता की जानकारी निम्नानुसार हैः–

S. No.	Name of Product	Existing Quantity (TPA)	Additional Quantity (TPA)	Total After Expansion (TPA)	Status
Existing Products with expansion quantity - Inorganic Products (Existing - Regular Products as per consent vide dated 03/10/2017 & valid upto 31/08/2020)					
1.	Sodium Bichromate	5,000	11,000	16,000	Expansion
2.	Basic Chromium Sulphate (BCS)	1,800	16,200	18,000	Expansion
3.	Potassium Bichromate	300	900	1,200	Expansion
4.	Sodium Chromate tetra-hydrate	300	0	300	No Change
5.	Chrome Oxide Green	150	0	150	No Change
6.	Chromic Tri Oxide (Chromic Acid)	600	5,400	6,000	Expansion
EC permitted Fine Chemicals (as per EC order vide date 03/11/2017)					
7.	Saccharin	1,000	0	1,000	No Change
8.	Saccharin Sodium	1,000	0	1,000	No Change
By Products from Inorganic products					
1.	Sodium Bisulphate Solution	2,517	0	0 (as converted to sodium sulphate)	Expansion
2.	Sodium Sulphate	8,452.23	49,071	51,587.8	Expansion
3.	Sodium chloride	333.3	1,000	1,333.3	Expansion

6. **जल उपयोग संबंधी जानकारी** – वर्तमान में परियोजना हेतु 178 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 26 घनमीटर प्रतिदिन अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त जल की आपूर्ति रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित कर की जाएगी। परियोजना में रिसायकल वॉटर 153 घनमीटर प्रतिदिन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 357 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति हेतु दिनांक 04/01/2018 द्वारा आवेदन किया गया। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के पत्र दिनांक 07/08/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को वांछित जानकारी/दस्तावेज हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 24/08/2019 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति अप्राप्त है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अनुमति शीघ्र ही प्राप्त कर ली जाएगी।

7. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** – – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 74,331 घनमीटर प्रतिवर्ष है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत हार्वेस्टिंग पिट (15 मीटर **X** 10 मीटर **X** 5 मीटर) क्षमता 750 घनमीटर एवं स्टोरेज 500 घनमीटर (व्यास 12 मीटर **X** गहराई 4.5 मीटर) स्थापित है। विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जाएगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। उक्त कार्य 03 माह के भीतर किया जाना बताया गया।

8. **जल प्रदूषण नियंत्रण** – वर्तमान क्रियाकलापों से कुल 29 घनमीटर प्रतिदिन दूषित जल उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप से अतिरिक्त दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। वर्तमान में औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु वर्तमान में स्थापित इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु हस्क फॉयर्ड बॉयलर क्षमता 10 टीपीएच के साथ 40 मीटर एवं कोल फॉयर्ड बॉयलर क्षमता 3 टीपीएच के साथ 30 मीटर की चिमनी स्थापित है। मल्टी सायक्लोन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित किया गया है। चिमनी से पर्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित है। परिसर के चारों तरफ वृक्षारोपण किया गया है।

10. **ईंधन संबंधी विवरण** – उद्योग में पूर्व से स्थापित हस्क फॉयर्ड बॉयलर क्षमता 10 टीपीएच हेतु आवश्यक हस्क खपत 50 टन प्रतिदिन एवं स्टेण्डबाई कोल फॉयर्ड बॉयलर क्षमता 3 टीपीएच हेतु आवश्यक कोल खपत 12 टन प्रतिदिन है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु कोई अतिरिक्त बॉयलर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। वर्तमान में स्थापित सिंगल स्टेज इवोपुरेटर (Single stage evaporator) के स्थान पर मल्टीपल इफेक्ट इवोपुरेटर (Multiple effect evaporator), new pre-heater & recuperator स्थापित किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

बताया गया कि उन्नत तकनीक का प्रयोग कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त ईंधन का उपयोग नहीं होगा।

11. **ठोस अपशिष्ट अपवहन** – वर्तमान में परियोजना से ठोस अपशिष्ट के रुप में सोडियम बाइक्रोमेट 10.987 टन प्रतिदिन जनित होता है। जिसका अपवहन स्वयं के सिक्युर लैण्ड फिल साइट (Secure land fill site) में किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत ठोस अपशिष्ट के रुप में सोडियम बाइक्रोमेट कुल 35.156 टन प्रतिदिन जनित होगा। पूर्व की व्यवस्था ही प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत भी जारी रखी जाएगी।

12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Addtiona; Capital Investment (in Crore)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount Required for CER Activities (in Lakh)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)</th></tr>
<tr><th colspan="2">Particulars</th></tr>
<tr><td rowspan="8">Rs.25.2</td><td rowspan="8">1.0%</td><td rowspan="8">Rs. 25.00</td><td colspan="2">Following activities at Nearby Government Schools</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rain water harvesting</td></tr>
<tr><td colspan="2">Potable Drinking Water Facility with 3 years AMC</td></tr>
<tr><td colspan="2">Solar Electric system</td></tr>
<tr><td colspan="2">Runnig water facility for wash room</td></tr>
<tr><td colspan="2">Awareness programm regarding Environment</td></tr>
<tr><td colspan="2">Greenery Development</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>Rs. 25.00</td></tr>
</table>

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

13. (i) प्रस्तावित कार्यकलाप में उन्नत तकनीकी के उपयोग, स्थापित एवं प्रस्तावित उन्नत प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं से प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होगी।

(ii) प्रस्तावित क्षमता विस्तार में उद्योग से शून्य जल निस्सारण व्यवस्था बनायी रखी जाना प्रस्तावित है।

(iii) जल उपभोग की मात्रा में 7,800 घनमीटर प्रतिवर्ष की वृद्धि होना प्रस्तावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में 74,331 घनमीटर प्रतिवर्ष रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करना प्रस्तावित है।

(iv) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसका सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रस्तावित कार्यकलाप से पर्यावरणीय घटकों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नगण्य है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गयाः—

1. ई.आई.ए. अधिसूचना (यथा संशोधित), 2006 के प्रावधानों के अनुसार इनआर्गेनिक उत्पादों Inorganic products को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त क्रमांक 37 के अनुक्रम में प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की गईः—
   - i. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures for 100% harvesting of rainwater in the premises for recharging the ground water table within three months.
   - ii. Project proponent shall ensure utilization of Spent Chromic Sulphate (Green Liquor) in the production of Basic Chromium Sulphate (BCS) as per proposal.
   - iii. Additional 26 KLD water requirement will be met by the development of rainwater-harvesting system.
   - iv. Project proponent shall ensure disposal of Sodium Bichromate in own TSDF site after obtaining proper permission from Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB), Nava Raipur Atal Nagar.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स बरबसपुर फ्लेग स्टोन माईन (श्री राजेन्द्र गुप्ता), ग्राम—बरबसपुर, तहसील व जिला—महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 924)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39261/2019, दिनांक 15/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन माईन खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम—बरबसपुर, तहसील व जिला—महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 203, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—5,103 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन माईन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 11/07/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** — क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला—रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 639/ख.लि./तीन—6/2019 रायपुर, दिनांक 12/06/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 985/क/ ई–निविदा/ ख.लि./ न.क्र. 63/2019 महासमुंद, दिनांक 03/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन दिनांक 05/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन दिनांक 31/07/2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से लगभग 8 कि.मी. दूरी पर स्थित है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः–**

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती /अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/08/2019 को सूचना दी गई कि उनका समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. मेसर्स नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 638)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / टीएचई / 28604 / 2017, दिनांक 07 / 08 / 2018। वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् दिनांक 31 / 05 / 2019 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 8 / 1, 8 / 2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट – 20 मेगावॉट की स्थापना हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया था। स्थापित सीमेंट प्लांट के कुल क्षेत्रफल 82 हेक्टेयर में से 2.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22 / 11 / 2017 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बी–1 केटेगरी का होने के कारण स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 07 / 08 / 2018 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12 / 02 / 2019 द्वारा ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 8 / 1, 8 / 2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट – 20 मेगावॉट, कुल क्षेत्रफल 82 हेक्टेयर में से 2.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 283वीं बैठक दिनांक 14 / 06 / 2019:

समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति को प्रस्तुत जानकारी का तत्समय परीक्षण किया एवं पाया गया कि उद्योग द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अनुमति के बिना उद्योग को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित स्थल के स्थान पर अन्य स्थल पर निर्माण कार्य आरंभ किया जा चुका है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य के द्वारा उद्योग स्थल का निरीक्षण किया जाए एवं समिति की रिपोर्ट प्राप्त

होने पर उस पर विचार एवं परियोजना प्रस्तावक का पक्ष सुनने के बाद तदानुसार कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/07/2019 द्वारा उद्योग स्थल का निरीक्षण करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य को सूचित किया गया। उक्त ज्ञापन के परिपेक्ष्य में दिनांक 07/07/2019 को उद्योग स्थल का निरीक्षण किया गया।

(ब) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती/ निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत स्थिति पाई गयी:–

1. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 22/07/2019 को बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया।
2. निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–
    - EC No. 461/AEIAA C.G/Plant/Janjgeer-Champa/638 Atal nagar Dated 12-02-2019.
    - Proposed site for chimney/Boiler/Turbine for which EC was granted has been changed to new site by the client. As mentioned by the client, proposed site and new site both are within the boundary of Nuvoco Cement Plant, Arasmeta, on the same Khasra numbers mentioned in the proposal for EC.
    - Proposed site and new site are approximately 200 meters apart (Annexure-I & Annexure-II).
    - On the proposed site a high tension power line is passing through the plot (Annexure-III).
    - On the new site client has done site clearance and some part of foundation work (Annexure-IV), as mentioned in the report of the R.O. (CECB), Bilaspur, dated 07.03.2019 (Annexure-V). As per client, no further construction activity was continued after the visit of R.O. (CECB), Bilaspur. At present no construction is going on.
    - On the new site material & components procured for establishment of proposed power plant was also found to be dumped (Annexure-VI).

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 24/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(स) समिति की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय त्यागी एवं आर.सी. पाठक तथा पर्यावरण सलाहकार मेसर्स बी.एस. इन्वाय–टेक प्राईवेट लिमिटेड, सिकंदराबाद की ओर से श्री वाय.बी.एस. मुर्थी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 के साईट–1 के स्थान पर साईट–2 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 में साईट–1 के ऊपर से हाई टेंशन लाईन जाने के कारण उपरोक्त खसरा क्रमांक के अंतर्गत ही साईट–2 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट के स्थापना का कार्य किया जाना है। वर्तमान में स्थापना का कार्य बंद है।
3. पूर्व में निर्धारित स्थल दक्षिण–पूर्व दिशा साईट–1 से वर्तमान में चयनित स्थल दक्षिण दिशा साईट–2 की दूरी 180 मीटर है। वर्तमान में चयनित स्थल की मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होना बताया गया है।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 07/03/2019 द्वारा कार्य बंद करने के निर्देश के आधार पर ही कार्य तत्समय बंद करना बताया गया है।
5. उपसमिति द्वारा भी उपरोक्त स्थितियों से समिति को अवगत कराया गया।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु पूर्ण तैयारी नहीं होने के कारण, प्रस्तुतीकरण के लिए अन्य तिथि प्रदान की जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आरिफ अहमद, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री राजीव रंजन, असिसटेंट वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट के स्थापना का कार्य दिनांक 15/02/2019 से आरंभ किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट के स्थापना का कार्य हेतु दिनांक 18/02/2019 एवं इसके बाद दिनांक 07/03/2019 तक प्लांट के मेसरमेंट बुक (Measurement Book) की प्रति एवं रेडोमिक्स कांक्रीट (Redomix Concrete) के लिए चालान की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत

प्रतियों से इंगित होता है कि स्थापना का कार्य दिनांक 15/02/2019 से आरंभ किया गया।

3. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि शिकायत में प्रस्तुत फोटोग्राफ्स में प्रदर्शित डिस्प्ले बोर्ड पर 1 गुणा 18 मेगावाट दर्शाया गया है, जबकि आवेदित प्रकरण की क्षमता 1 गुणा 20 मेगावाट है, जिसके लिए एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/02/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। अतः शिकायत में प्रस्तुत फोटोग्राफ्स आवेदित प्रकरण के स्थापना स्थल (Construction area) का नहीं है।

4. भूमि वर्ष 1982–83 से उद्योग के आधिपत्य में है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 4334, दिनांक 13/11/2017 द्वारा डब्ल्यु. एच.आर. डब्ल्यु. आधारित पावर प्लांट – 7 मेगावॉट की अनुमति प्राप्त की गई थी, जिसके आधार पर सिविल फाउंडेशन वर्क (Civil Foundation Work) का कार्य किया जा रहा है।

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर से बिना स्थापना सम्मति प्राप्त किए निर्माण कार्य आरंभ करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 02/11/2018 द्वारा अध्यक्ष, समस्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए गए, जिसमें निम्न उल्लेख है:–

"For Industries requiring EC, issuing of consent by SPCBs/PCCs shall be one step process and EC will be deemed as CTE in such cases. SPCBs/PCCs shall be involved in the process of granting of EC."

उक्त निर्देश से भ्रांति (Confusion) होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत जल एवं वायु स्थापना सम्मति नहीं प्राप्त की गई।

6. समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 02/11/2018 का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि उक्त निर्देश छत्तीसगढ़ राज्य में अंगीकृत नहीं किया गया है। उपरोक्त निर्देश से भ्रम की स्थिति निर्मित होना संभव है।

7. ग्राम पंचायत परसदा, ग्राम पंचायत मुलमुला एवं ग्राम पंचायत अर्जुनी के सरपंचों द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्ति दिनांक 27/06/2019 के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत की गई है।

8. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 29/07/2019 को पंचायतों द्वारा पूर्व में की गई शिकायत को पुनः संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उद्योग द्वारा केप्टिव पॉवर प्लांट के पूर्व में निर्धारित स्थल साईट–1 तथा वर्तमान में चयनित स्थल साईट–2 (प्रस्तावित स्थल) के ले–आउट एवं खसरे का विवरण पटवारी से पुष्टिकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

2. समिति द्वारा पूर्व में निर्धारित स्थल साईट–1 तथा वर्तमान में चयनित स्थल साईट–2 का अक्षांश (Latitude) एवं देशांश (Longitude) का मापन किया जाए।

3. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की तीन सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा, डॉ. मोहन लाल अग्रवाल एवं डॉ. एम.डब्ल्यू.वाई खान, सदस्य के द्वारा प्राप्त

शिकायतों के परिपेक्ष्य में उद्योग स्थल का निरीक्षण एवं शिकायतों की जाँच की जाएगी। जाँच में शिकायतकर्ताओं का भी पक्ष सुना जाए। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/08/2019 द्वारा उद्योग स्थल का निरीक्षण करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की तीन सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा, डॉ. मोहन लाल अग्रवाल एवं डॉ. एम.डब्ल्यू.वाई खान, सदस्य को सूचित किया गया। उक्त ज्ञापन के परिपेक्ष्य में दिनांक 08/09/2019 को उद्योग स्थल का निरीक्षण किया गया।

(इ) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/ निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की तीन सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा, डॉ. मोहन लाल अग्रवाल एवं डॉ. एम.डब्ल्यू.वाई खान, सदस्य द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 16/09/2019 को बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया।
2. निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–
   i. The latitudes & longitudes of original sites and proposed site of 20 MW coal based captive power plant were verified and found to be within boundary limits (the details are enclosed here with).
   ii. The Sub-committee wanted to interact with Sarpanch of Villages– Mulmula, Arjuni and Parsada. They were called at regional office of CECB Bilaspur (C.G.). Mr. Upendra Singh of Mulmula, Smt. Kavita Bai of Arjuni and Smt. Mathura Verma of Parsada, all the sarpanch came at R.O. Office.
   iii. Sub-Committee wanted to discuss their submissions and to interact with them but Shri Devendra Singh, Brother of Mulmula Sarpanch (Mr. Upendra Singh) who accompanied them, was adamant that only he will represent all the issues.It was not allowed by the Sub-committee. Subsequently all of them left the office without interacting with the Sub-committee.
   iv. उपसमिति द्वारा निम्नानुसार निर्देशांक पाए गये:

GPS Coordinates of Proposed Location for which EC was granted vide letter dated 12/02/2019

a) Latitude - 21°57'57.07" N , Longitude – 82°21'19.56" E
b) Latitude - 21°58'8.59" N , Longitude – 82°21'19.93" E
c) Latitude - 21°58'8.87" N , Longitude – 82°21'14.28" E
d) Latitude - 21°57'58.13" N , Longitude – 82°21'14.01" E

GPS Coordinates of Proposed Location for which EC amendment is sought

a) Latitude - 21° 57'57.10" N , Longitude – 82° 20'59.61" E

b) Latitude - 21°58'0.62" N , Longitude – 82 ° 20'59.71" E

c) Latitude - 21° 58'0.64" N , Longitude – 82° 21'7.45" E

d) Latitude - 21° 57'56.97" N , Longitude – 82° 21'7.16" E

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:–

शिकायतों के संबंध में शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुना जाना आवश्यक है। अतः उपसमिति द्वारा शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुनकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

शिकायतकर्ताओं को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(भोसकर विलास संदिपान)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स श्रीमति गीता देवी देशमुख ब्रिक्स अर्थ माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1650, ग्राम–आलबरस, तहसील व जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 1.35 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईंट निर्माण ईकाई क्षमता 15,00,000 नग) हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 14 वर्ष (खदान की संभावित आयु) तक की अवधि हेतु वैध है। यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

2. उत्खनन क्षेत्र 1.35 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईंट निर्माण ईकाई क्षमता 15,00,000 नग) से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।

4. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2.0 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

5. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

6. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

7. ईंट उत्पादन हेतु फिक्स्ड चिमनी आधारित ईंट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईंट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक

अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।
9. ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई एश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईंट भट्टे से उत्पन्न राख का पुर्नउपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू–भरण हेतु उपयोग किया जाए।
10. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्डों में पुर्न भरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
13. मिट्टी एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs.39.625	2.0%	Rs. 0.79	Following activities at Nearby Government School Village-Albaras	
			Rain water harvesting	Rs. 0.50
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.30
			Total	**Rs. 0.80**

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 300 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए। आवेदित स्थल के पूर्वी भाग के 500 वर्गमीटर क्षेत्र में लगभग 150 नग अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाए।
17. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019—20 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**
18. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खन्न की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव—जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
20. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
21. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
22. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
23. श्रमिकों का समय—समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों /विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तो के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
27. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
28. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
29. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों,

परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

26.9.2019

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

18.10.19 (A.K. GOURAHA)

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.